



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.07.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर मे आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा ।

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-197/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार दूबे पुत्र वंश नारायण दूबे निवासी गोसाईपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-23.07.2024 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजकुमार दूबे उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।